

केन्द्रीय सूचना आयोग  
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका  
नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/P/24/00077

दिनांक. 11.03.2024

सेवा में,

श्री शुभंकर सरकार  
पता - बोंसपुर रोड,  
न्यू बालीगंज कस्बा,  
कोलकाता पश्चिम बंगाल - 700 039

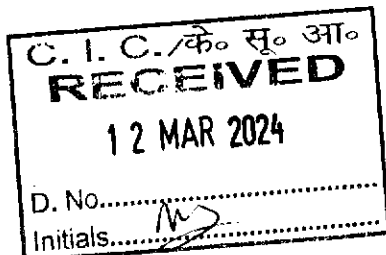
विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना।

महोदय/महोदया,

उक्त विषयक आपका दिनांक 15.02.2024 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 23.02.2024 को प्राप्त हुआ, का अवलोकन करें।

**बिन्दु सं० - क से घ:** अवगत करवाया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग में उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय सूचना आयोग केवल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत द्वितीय अपीलीय अधिकरण है। आप कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो उचित आवेदन शुल्क के साथ सूचना से संबंधित कार्यालय में आर.टी.आई. आवेदन प्रेषित करें। यदि किसी कार्यालय द्वारा कोई सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न हों तो सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर उसी कार्यालय/विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से बरीय अधिकारी जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित हैं, के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपील दाखिल किया जाना चाहिए। अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश से भी आप संतुष्ट न हों तो 90 दिनों के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (3) के तहत द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं। द्वितीय अपील आवेदन के साथ लोक प्राधिकरण से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियाँ (स्वअभिप्रमाणित) संलग्न करना आवश्यक होता है, जिनमें सूचना प्राप्ति हेतु आर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना (यदि सूचना प्रदान की गई हो), प्रथम अपील आवेदन, प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो), पहचान पत्र की प्रति के साथ सभी संलग्नकों का क्रमांक (Index) सूची भी संलग्न करना आवश्यक है।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्रीमती रूप अवतार कौर, प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 को की जा सकती है।



11/3/24  
(सुबोध कुमार)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,  
आर.टी.आई.सेल  
दूरभाष - 011-26172690